न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 08/2017 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये रवि जाधव प्रवर्तन अधिकारी भीलवाडा/कोटडी —प्रार्थी

बनाम

1. श्री राकेश पुत्र नन्दलाल सेन निवासी शाहपुरा रेगर मोहल्ला कोटडी तहसील कोटडी
2. श्री श्याम लाल पुत्र घीसूलाल माली निवासी मानपुरा महुआ रोड माली मोहल्ला माण्डलगढ जिला भीलवाडा वाहन मालिक मारूति वेन नम्बर आर.जे.06–यूबी–1564
3. श्री विक्रम सिंह पुत्र रघुनाथ निवासी खोलपुरा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा वाहन चालक मारूति वेन नम्बर आर.जे. 06–यूबी–1564

—विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. श्री विश्वास वैष्णव अधिवक्ता – विपक्षी सं. 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 28.06.2018

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि दिनांक 27.11.2017 को जिला रसद अधिकारी भीलवाडा ने मुझ प्रवर्तन अधिकारी भीलवाडा रवि जाधव को आदेशित किया कि दिनांक 26.11.2017 को कोटडी में एक कार में गैस भरते समय आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है। अतः पुलिस थाना कोटडी पंहुच कर अग्रीम कार्यवाही करें। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा के आदेशानुसार दिनांक 27.11.2017 को दोपहर 3.30 पी.एम. पर पुलिस थाना कोटडी पहुंचा। मौके पर श्री ओमप्रकाश ए.एस.आई. ने बताया कि दिनांक 26.11.2017 को कुछ व्यक्तियों ने टेलीफोन पर सूचना दी कि रेगर मोहल्ला कोटडी में एक वेन में आग लग गई है। उक्त सूचना के आधार पर मय जाब्ता व एस.एच.ओ. कोटडी मौके पर पहुंचे। मौके पर एक मारूति वेन नम्बर आर.जे. 06–यूबी–1564 मे आग लगी हुयी थी। आग को बुझाया गया। मारूति वेन राकेश सेन पुत्र नन्दलाल सेन के बाहर खडी हुयी थी। मौके पर वाहन मालिक व राकेश सेन उपस्थित मिले। आग बुझाने के बाद मारूति वेन को पुलिस थाना कोटडी पर लाकर खडा कर दिया गया। मौके पर राकेश सेन के मकान की तलाशी लेने पर

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

उपलब्ध नही मिले। मकान पर ताला लगा पाया गया। श्री ओमप्रकाश ए.एस.आई. ने बताया कि श्री राकेश सेन को तलब कर मकान के कमरे का ताला खुलवाया गया तो एक कमरे में तीन घरेलू बी.पी.सी.एल. सिलेण्डर व एक रिफलिंग गैस मशीन मय नलियां पायी गयी जिसे पुलिस निगरानी हेतु कमरे पर ताला लगाया गया एवं जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को सूचित किया गया। श्री राकेश सेन द्वारा बताया गया कि वह गैस सिलेण्डर व रिफलिंग मशीन उनकी स्वयं की है। मौके पर श्री राकेश सेन द्वारा बताया गया कि उक्त सिलेण्डर उनके नाम जारी कनेक्शन के है। एक अन्य सिलेण्डर किसी परिचित का रखा होना बताया गया। मौके पर गैस रिफलिंग रखे होने बाबत श्री राकेश सेन ने कोई जवाब प्रस्तुत नही किया न ही बताया। मौके पर चारभूजा भारत गैस के कर्मचारी/मैनेजर पर्वत सिंह पुत्र रूप सिंह को बुलवाया गया एवं गैस सिलेण्डरों को मशीन से तोला गया जिस पर गैस की मात्रा शून्य पायी गयी। मौके पर गैस रिफलिंग मशीन उपलब्ध मिली थी। अतः गैस रिफलिंग मशीन व तीनों गैस सिलेण्डरों को एल.पी.जी. आदेश 2000 का उल्लघंन होने से कब्जे मे लिया गया एवं फर्म मैसर्स चारभूजा भारत गैस ग्रामीण वितरक कोटडी की सुपुर्दगी में दिये गये। समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार दिनांक 27.11.2017 में उल्लेखित किया गया था कि श्री राकेश सेन द्वारा मारूति वेन में गैस भरने का कार्य करते वक्त आग लगी थी एवं वाहन मालिक विक्रम सिंह मौके से भाग गया था। मारूती वेन नम्बर आर.जे.06–यूबी–1564 को पुलिस थाना कोटडी द्वारा कोटडी थाने पर लगभग पूर्णतः जली हालत में कोटडी थाने पर लाकर रखा गया था। उल्लेखनीय है कि घरेलू द्रवित गैस सिलेण्डर (14.2 के.जी.) का उपयोग केवल घर में भोजन पकाने के लिए है, जबकि आरोपी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से वाहनों में घरेलू गैस की रिफलिंग का कार्य किया जाकर एल.पी.जी. ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया है। अतः निवेदन हैं कि जब्तशुदा तीनों गैस सिलेण्डर मय रिफलिंग गैस मशीन एवं मारूति वेन नम्बर आर.जे. 06–यूबी–1564 को राजसात किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 26.12.2017 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी ने अपना जवाब प्रस्तुत किया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी । दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया कि दिनांक 27.11.2017 को जिला रसद अधिकारी भीलवाडा ने मुझ प्रवर्तन अधिकारी भीलवाडा रवि जाधव को आदेशित किया कि दिनांक 26.11.2017 को कोटडी में एक कार में गैस भरते समय आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है। अतः पुलिस थाना कोटडी पंहुच कर अग्रीम कार्यवाही करें। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा के आदेशानुसार दिनांक 27.11.2017 को दोपहर 3.30 पी.एम. पर पुलिस थाना कोटडी पहुंचा। मौके पर श्री ओमप्रकाश ए.एस.आई. ने बताया कि दिनांक 26.11.2017 को कुछ व्यक्तियों ने टेलीफोन पर सूचना दी कि रेगर मोहल्ला कोटडी में एक वेन में आग लग गई है। उक्त सूचना के आधार पर मय जाब्ता व एस.एच.ओ. कोटडी मौके

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

पर पहुंचे। मौके पर एक मारूति वेन नम्बर आर.जे. 06–यूबी–1564 मे आग लगी हुयी थी। आग को बुझाया गया। मारूति वेन राकेश सेन पुत्र नन्दलाल सेन के बाहर खडी हुयी थी। मौके पर वाहन मालिक व राकेश सेन उपस्थित मिले। आग बुझाने के बाद मारूति वेन को पुलिस थाना कोटडी पर लाकर खडा कर दिया गया। मौके पर राकेश सेन के मकान की तलाशी लेने पर उपलब्ध नही मिले। मकान पर ताला लगा पाया गया। श्री ओमप्रकाश ए.एस. आई. ने बताया कि श्री राकेश सेन को तलब कर मकान के कमरे का ताला खुलवाया गया तो एक कमरे में तीन घरेलू बी.पी.सी.एल. सिलेण्डर व एक रिफलिंग गैस मशीन मय नलियां पायी गयी जिसे पुलिस निगरानी हेतु कमरे पर ताला लगाया गया एवं जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को सूचित किया गया। श्री राकेश सेन द्वारा बताया गया कि वह गैस सिलेण्डर व रिफलिंग मशीन उनकी स्वयं की है। मौके पर श्री राकेश सेन द्वारा बताया गया कि उक्त सिलेण्डर उनके नाम जारी कनेक्शन के है। एक अन्य सिलेण्डर किसी परिचित का रखा होना बताया गया। मौके पर गैस रिफलिंग रखे होने बाबत श्री राकेश सेन ने कोई जवाब प्रस्तुत नही किया न ही बताया। मौके पर चारभूजा भारत गैस के कर्मचारी/मैनेजर पर्वत सिंह पुत्र रूप सिंह को बुलवाया गया एवं गैस सिलेण्डरों को मशीन से तोला गया जिस पर गैस की मात्रा शून्य पायी गयी। मौके पर गैस रिफलिंग मशीन उपलब्ध मिली थी। अतः गैस रिफलिंग मशीन व तीनों गैस सिलेण्डरों को एल.पी.जी. आदेश 2000 का उल्लघंन होने से कब्जे मे लिया गया एवं फर्म मैसर्स चारभूजा भारत गैस ग्रामीण वितरक कोटडी की सुपुर्दगी में दिये गये। समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार दिनांक 27.11.2017 में उल्लेखित किया गया था कि श्री राकेश सेन द्वारा मारूति वेन में गैस भरने का कार्य करते वक्त आग लगी थी एवं वाहन मालिक विक्रम सिंह मौके से भाग गया था। मारुती वेन नम्बर आर.जे.06–यूबी–1564 को पुलिस थाना कोटडी द्वारा कोटडी थाने पर लगभग पूर्णतः जली हालत में कोटडी थाने पर लाकर रखा गया था। घरेलू द्रवित गैस सिलेण्डर (14.2 के.जी.) का उपयोग केवल घर में भोजन पकाने के लिए है, जबकि आरोपी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से वाहनों में घरेलू गैस की रिफलिंग का कार्य किया जाकर एल.पी.जी. ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया है। निवेदन हैं कि जब्तशुदा तीनों गैस सिलेण्डर मय रिफलिंग गैस मशीन एवं मारूति वेन नम्बर आर.जे. 06–यूबी–1564 को राजसात किये जाने का आदेश फरमावें।

विपक्षी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी द्वारा न तो गैस रिफलिंग कार्य किया जाता है, न ही मौके पर तथाकथित वाहन में गैस रिफलिंग की गयी है। विपक्षी जो कि एक गैस संबंधित उपकरण को तैयार/ रिपयरिंग का कार्य अपनी दूकान में करता है तथा रिफलिंग मशीन भी किसी अन्य उपभोक्ता की थी जो रिपयरिंग के लिये आई हुयी थी जिसकी उपयोग विपक्षी द्वारा नही किया गया तथा संबंधित तीन गैस की टंकी जो कि स्वयं विपक्षी व उसके परिवारजन आदि की कनेक्शनशुदा थी जिनका उपयोग मात्र घरेलू कार्यों में किया जाता है। जिसका किसी प्रकार से व्यावसायिक उपयोग न तो किया गया, न ही किया जाना था। साथ ही मौके पर तथाकथित गैस सिलेण्डर जो कि खाली थे, जिनका

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाडा (राज.)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर भीलवाडा (राज.)

व्यावसायिक दुरूपयोग किये जाने की लिखित अथवा मौखिक स्वतंत्र साक्ष्य नही आई है। निवेदन है कि विपक्षी को गैस सिलेण्डर व मशीन जो रिपयरिंग हेतु आई थी दिलवाई जावे तथा प्रार्थी द्वारा अमल में लायी जा रही कार्यवाही विरूद्व विपक्षी के निरस्त फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तवेजात एवं विपक्षी द्वारा स्वयं पर्चा मौका पर हस्ताक्षर किये एवं गैस रिफलिंग का जुर्म स्वीकार किया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से वाहनों में घरेलू गैस की रिफलिंग का कार्य किया जाकर एल.पी.जी. आर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्व होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा तीनों गैस सिलेण्डर मय रिफलिंग गैस मशीन एवं मारूति वेन नम्बर आर.जे. 06–यूबी–1564 को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव –

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्तशुदा तीनों गैस सिलेण्डर मय रिफलिंग गैस मशीन एवं मारूति वेन नम्बर आर.जे.06–यूबी–1564 को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं । निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा उक्त जब्तशुदा तीनों गैस सिलेण्डर मय रिफलिंग गैस मशीन एवं मारूति वेन नम्बर आर.जे.06–यूबी–1564 का अन्तिम निस्तारण कर राशि जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

28/06/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)